64

संख्या–859 / XV-2 / 08(05) / 2007(मत्स्य)

प्रेषक,

आर0सी0 पाठक,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग– 02

देहरादून, दिनांक 05 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2012:

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए मत्स्य विभाग को जलाशयों का विकास योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, मत्स्य विभाग के पत्र संख्या–790 / जला0 विकास / 2012–13, दिनॉक 26–07–2012 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–829 / XV-2 / 08(05) / 2007(मत्स्य) दिनांक 08–08–2012 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में मत्स्य विभाग को जिला योजना अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ को जलाशयो का विकास योजना हेतु ₹ 1.25 लाख (₹ एक लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

आयोजनागत धनराशि (लाख ₹ में)

क0 सं0	जनपद	जलाशयों का विकास हेतु धनराशि	आहरण वितरण अधिकारी
1.	पिथौरागढ़	1.25	सहायक निदेशक, मत्स्य, अल्मोड़ा

1. उक्त निर्गत स्वीकृति सम्बन्धित सहायक निदेशक, मत्स्य के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्टि करना सुनिश्चित करें तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहॉ कही आवश्यक हो सक्षम अधिकारी को स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए स्वीकृत परिव्यय के अनुरूप व्यय किया जायेगा।
2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
3. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमो एवं कय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2013 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सहित उपलब्ध कराई जायेगी।

2/–

5. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा ताकि मासिक आधार पर व्यय की सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मॉग के समय सही निर्णय लिया जा सके।

6. निर्माण कार्यो के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिये कड़ी कार्यवाही व सघन अनुश्रवण किया जाये एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(d) की अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि अवमुक्त की जा रही धनराशि में 80 प्रतिशत धनराशि चालू निर्माण कार्यों पर तथा 20 प्रतिशत नये निर्माण कार्यो पर व्यय की जाये।

2- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-00-आयोगनागत-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-9102-जलाशयों का विकास-42-अन्य व्यय के सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2012 में निहित प्राविधानानुसार www.cts.uk.gov.in से साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट एलाटमैन्ट 0आई0डी0 संख्या तथा वित्त विभाग के शासनादेश सं0-321/XXVII(1)/2012, दिनॉक 19-06-2012 द्वारा निर्गत निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(आर0सी0 पाठक)

सचिव।

संख्या : 859(1)/XV-2/08(05)2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डालायुक्त, कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ ऑफिसर-प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु।
4. निजी सचिव-मंत्री, मत्स्य विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
5. निदेशक, मत्स्य विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. सहायक निदेशक, मत्स्य विभाग, पिथौरागढ़/अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
7. कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड पिथौरागढ़।
8. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)

संयुक्त सचिव।